अनवान

श्री तेजमल पिता मोतीलाल जैन नि. सरसिया तह0 जहाजपुर

वादी......

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. श्री रतिराम पिता नन्दाराम मीणा नि. सरसिया

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री बी. एल. मीणा, वकील वादी
2. श्री छीतर लाल रेगर, वकील प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक 14.10.2019

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम सरसिया प0 ह0 सरसिया तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 2042 रकबा 01.17 बीघा स्थित है। उक्त भूमि वादी को मिसल नं. 200 सन 62 व 14 सन 63 से आवंटित की जाकर पैमुद की गई थी। तभी से यह भूमि वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में निरन्तर दिनांक आवंटन 24.12.1962 से निरन्तर चली आ रही हैं। सवंत 2020 से 2023 से यह भूमि बिलानाम दर्ज कर दी। किन्तु खसरा गिरदावरी चालान नं. 16 में इस भुमि पर वादी की काश्त दर्ज है। इसके पश्चात निरन्तर वादी के कब्जे काश्त मे चली आ रही हैं। किन्तु राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज कर दी गई। ग्राम सरसिया की ढाल बाच वर्ष 2020 में भी कालम नं .26 में वादी का आवंटन व कब्जा अंकित हैं। राजस्व रेकार्ड मे वादी का कब्जा नही होने से वादी ने राजस्व अधिकारियो से अनेक बार रेकार्ड दुरूस्ती बाबत निवेदन किया। प्रशासन गांव के संग अभियान मे भी वादी ने निवेदन किया किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। वादी चरण सं. 1 मे वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व राजस्व रेकार्ड मे अपना नाम दर्ज करने का अधिकारी हैं। वाद पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित कृषि भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 2 की और से श्री छीतर लाल रेगर एडवोकेट का अधिकार पत्र पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादीगण ने वादपत्र की ताईद में आंवटन फार्म की नकल, सिपुर्दगी नामा की नकल, ढालबाछ की नकल, नकल जमाबन्दी, व नकल खसरा गिरदावरी की

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

प्रति पेश की, जो शाामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादी सं. 2 ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के प्रकरण सं. 01/2013 निर्णय दिनांक 29.05.2014 से कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत आंवटन निरस्तीकरण के निर्णय की प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान बताया की वादी को उक्त भुमि आंवटन होकर सुपर्द भी की गई है। वादी उक्त भुमि पर कब्जे काश्त है। लेकिन खाते में दर्ज नही हुई है। इसलिये उक्त भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित कराना फरमावे। वकील प्रतिवादी सं. 1 ने बहस के दौरान बताया की वादी को आंवटित भुमि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय से 14–4 से भुमि आंवटन निरस्त किया जा चुका है। इसलिये वादपत्र खारिज फरमाया जावे। मैने उभय पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के प्रकरण सं. 01/2013 निर्णय दिनांक 29.05.2014 से कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत वादी को आंवटित भुमि पर भुमि आंवटन निरस्त कर दिया गया है। जिसकी ताईद प्रस्तुत न्यायालय के निर्णय से होती है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

श्री तेजमल पिता मोतीलाल जैन नि. सरसिया तह0 जहाजपुर

वादी......

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. श्री रतिराम पिता नन्दाराम मीणा नि. सरसिया तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण..............

दावा बाबत – **88, 89, 92ए, 188 आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 156/2011

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री बी. एल. मीणा का मिनजानिब मुदई व श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.10.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.11.01 11:04:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: